उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-70/2017/697/92-2-2017-37जॉच/2017

लखनऊ :: दिनांक:: 11 मई, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-सुलतानपुर में दिनांक 07-05-2017 को मा0 मंत्री जी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम की सूचना होने के उपरान्त भी श्री मरगूब अहमद जाफरी, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर निरीक्षण स्थल पर उपस्थित न रहने तथा कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। निलम्बन अविध में श्री जाफरी, कार्यालय मुख्य अभियंता, (पूर्वी क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्व रहेगें।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

3- निलम्बन की अवधि में श्री मरगूब अहमद जाफरी को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन-निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा। किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन-निर्वाह के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नही होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।

4- उपर्युक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा, जब श्री मरगूब अहमद जाफरी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 70/2017/697(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि श्री मरगूब अहमद जाफरी, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर के विरूद्व आरोप पत्र गठित कर साक्ष्यों सहित शासन को (दो प्रतियों में) 03 दिन के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3- मुख्य अभियंता (पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सुलतानपुर/लखनऊ।

5- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ।

6- श्री मरगूब अहमद जाफरी, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

7- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।